न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 374/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/603

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.सालूराम पुत्र खेताराम 2.धीराराम पुत्र खेताराम 3.बाबूराम पुत्र लाधूराम 4.अमराराम पुत्र लाधूराम 5.ओमप्रकाश पुत्र लाधूराम 6.अणची पत्नी लाधुराम जाति जाट निवासी हनुमानपुरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा		1.किशनाराम पुत्र डालुराम 2.मानाराम पुत्र जवाहराराम 3.चिमाराम पुत्र जवाहराराम 4.तिलाराम पुत्र हड़मानराम 5.मिरगो पत्नि हड़मानराम 6.गंगाराम पुत्र धनाराम 7.सकूदेवी पत्नि गंगाराम 8.वेहनाराम पुत्र पेमाराम 9.हड़मानराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी हनुमानपुरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 10.रामसिंह पुत्र खेतसिंह 11.मनोहरसिंह पुत्र भूरसिंह 12.सवाईसिंह पुत्र खंगारसिंह 13.जीतुसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानपुरा तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा 14.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पाटोदी

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री पुनमाराम चौघरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.विप्रार्थी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 27/03/2026

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हनुमानपुरा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 195/132 क्षेत्रफल 3.1970 हैक्टेयर,खसरा संख्या 218/132 क्षेत्रफल 1.4973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 222/132 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर,खसरा संख्या 216/132 क्षेत्रफल 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213/132 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम हनुमानपुरा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 195/132 क्षेत्रफल 3.1970 हैक्टेयर,खसरा संख्या 218/132 क्षेत्रफल 1.4973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 222/132 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर,खसरा संख्या 216/132 क्षेत्रफल 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213/132 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हनुमानपुरा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 195/132 क्षेत्रफल 3.1970 हैक्टेयर,खसरा संख्या 218/132 क्षेत्रफल 1.4973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 222/132 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर,खसरा संख्या 216/132 क्षेत्रफल 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213/132 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम हनुमानपुरा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 195/132 क्षेत्रफल 3.1970 हैक्टेयर,खसरा संख्या 218/132 क्षेत्रफल 1.4973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 222/132 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर,खसरा संख्या 216/132 क्षेत्रफल 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213/132 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) दांतारा

4.विप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 1 व 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी नही की गई है। जबकि प्रार्थीगण आए दिन सीमाओ को लेकर विप्रार्थी पक्ष से विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम हनुमानपुरा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 195/132 क्षेत्रफल 3.1970 हैक्टेयर,खसरा संख्या 218/132 क्षेत्रफल 1.4973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा रांख्या 222/132 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर,खसरा संख्या 216/132 क्षेत्रफल 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213/132 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमावंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओ को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमवंदी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 20.2.2025 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बावत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हनुमानपुरा तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 195/132 क्षेत्रफल 3.1970 हैक्टेयर,खसरा संख्या 218/132 क्षेत्रफल 1.4973 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 222/132 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टेयर,खसरा संख्या 216/132 क्षेत्रफल 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213/132

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है।

(अशोककुमार) 27/03/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.03.2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

27/03/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा